न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 92/20

चन्द्र प्रकाश पुत्र गणपतलाल जाति मीणा निवासी कुण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां

........वादी

बनाम

01. मेघराज पुत्र धन्नादास जाति बैरागी निवासी पुराने थाने के पास सीसवाली तहसील मांगरोल
02. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 251(क) आ0 टी0 एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादी : श्री दयाकृष्ण धाकड

दायरा दिनांक: 18.09.2020 निर्णय दिनांक : 16.08.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 252 खसरा नं0 3488/5756 रकबा 0.32 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित है जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है। यह कि वादी की आराजी हाल खसरा नं0 3488/5756 रकबा 0.32 है0 आराजी पर काश्त हेतु आने जाने का रास्ता नही होने से परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादी की खाता आराजी इस कारण कभी कभी तो पडत ही रह जाती है तथा रास्ते के अभाव के कारण वादी का आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है। यह कि वादी प्रारम्भ से ही अपनी खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु प्रतिवादी कम 1 के पश्चिमी मेड से होकर निकलता रहा है और इसके अलावा वादी के पास अन्य रास्ता अपनी आराजी में आने जाने का नही है तथा वादी हमेशा से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। यह कि वादी की आराजी पर आने जाने के लिए रास्ता नही होने से वादी प्रतिवादी कम 1 की आराजी खसरा नं0 3487 की पश्चिमी मेड से अपनी आराजी पर जाने के लिए रास्ता कायम करवाना चाहता है एवं वादी न्यायालय आदेश के अनुसार डी.एल.सी. दस से जो भी रकम अदा करने का आदेश फरमावें जमा करवाने का वादी तैयार है जिससे वादी को अपनी खाता आराजी पर जाने का रास्ता मिल सके एवं वह अपनी आराजी पर कश्त कर सके एवं आराजी पर आने जाने के लिए रास्ता कायम हो सके। यह कि वादी द्वारा चाहे गये रास्ते के लिए वादपत्र में पेश नक्शा ट्रेस पर खसरा नं0 3487 की पश्चिमी मेड पर निशान अंकित किये गये है वादी यही से अपनी आराजी पर काश्त के लिए आता जाता है एवं हाजा न्यायालय से अंकित निशान पर ही रास्ता कायम करवाना चाहता है। यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 से कई मर्तबा रास्ता कायम करवाने हेतु निवेदन कर चुका है लेकिन प्रतिवादी कम 1 द्वारा हमेशा टालम टोल किया जाता है एव दिनांक 20.02.2020 को प्रतिवादी कम 1 ग्राम सीसवाली में स्पष्ट तोर मना करने से वादी को माननीय न्यायालय में वाद पेश करना पड रहा है। यह कि वाद में प्रतिवादी कम 2 को भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। हाजा न्यायालय प्रतिवादी कम 2 को आदेशित करे कि डी.एल.सी. दस से रकम जमा करने एवं नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम करने हेतु आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

ावे। यह कि वाद कारण दिनांक 10.09.2020 को वादी द्वारा रास्ता कायम करने हेतु प्रतिवादी कम 1 से निवेदन करने पर उसके द्वारा रास्ता कायम करने से स्पष्ट मना करने पर ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में उत्पन्न हुआ है। यह कि वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खाता संख्या 252 खसरा नं0 3488/5756 रकबा 0.32 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में आने जाने हेतु प्रतिवादी कम 1 की खाता आराजी खसरा नं0 3487 की पश्चिमी मेड से रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान करे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 18.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट कमाकः 1291 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं0 3488/5756 रकबा 0.32 है0 भूमि का खातेदार चन्द्रप्रकाश पुत्र गणपत निवासी कूण्डला मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है। समीपवर्ती खसरा नं0 3487 रकबा 1.61 है0 खातेदार मेघराज पुत्र धन्नादास जाति बैरागी हिस्सा 9/10 व सीताराम पुत्र नसिंहलाल जाति माली हिस्सा 1/10 सा. सीसवाली के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी की आराजी खसरा नं0 3487 रकबा 1.61 है0 मेन रोड सीसवाली मांगरोल से लगवां स्थित है व वादी चन्द्र प्रकाश पुत्र गणपत की आराजी खसरा नं0 3488/5756 रकबा 0.32 है0 भूमि प्रतिवादी की आराजी से उत्तरी दिशा में स्थित है । वादी चन्द्रप्रकाश अपने खातेदारी की आराजी खसरा नं0 3488/5756 रकबा 0.32 है0 में आने–जाने के लिए प्रतिवादी की आराजी खसरा नं0 3487 रकबा 1.61 है0 की पश्चिमी मेढ का उपयोग करता रहा है, एवं पश्चिमी मेढ से अपनी आराजी में आ–जा सकता है। राजस्व रिकार्ड में वादी की आराजी खसरा नं0 3488/5756 रकबा 0.32 है0 पर पहुचने हेतु कोई रास्ता कायम नही है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है, वादी को अपनी आराजी में पहुचने के लिए मेन रोड सीसवाली–मांगरोल से प्रतिवादी की आराजी खसरा नं0 3487 में से होकर जाने के लिए लगभग 0.02 है0 का रास्ता कायम किया जा सकता है।

प्रस्तुत दस्तावेजो, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अवलोकन के आधार पर निम्न बिन्दु साबित होते है:–

1. <u>वैकल्पिक रास्ता नही होना</u> – वादी को अपने खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नं0 3488/5756 तक पहुचने हेतु वर्तमान में कोई भी रिकार्डेड रास्ता विकल्प के रूप में उपलब्ध नही है।
2. <u>नितान्त आवश्यता होना</u> – वादी के खेत तक पहुंचने और कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए पहुंच मार्ग/रास्ते की नितान्त आवश्यकता है अन्यथा रास्ते के अभाव में और प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रचलित रास्ते को बन्द कर दिये जाने की स्थिति में वादी की भूमि के पडत रह जायेगी।
3. <u>सबसे लघुत्तम रास्ता होना</u> – वादी के खेत खसरा नं0 3488/5756 तक पहुंचने हेतु खसरा नं0 3487 से जाने वाले प्रचलित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुत्तम प्रचलित रास्ता नही है। अतः वादी के खेत खसरा नं0 3488/5756 तक पहुंचने का सबसे लघुत्तम रास्ता खसरा नं0 3487 से होकर गुजरने वाला पूर्व प्रचलित रास्ता ही है।
4. <u>डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान</u> – वादी, प्रतिवादी कम 1 के खसरा नं0 3487 से होकर दिये जाने वाले लगभग 0.02 है0 भूमि की डी.एल. सी. दरों से दुगनी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

Scanned by CamScanner

अतः वादी द्वारा डीएलसी दरों की दुगुनी राशि जमा कराने की सहमति के आधार पर वादी को उसके खाते की भूमि पर जाने का रास्ता प्रतिवादी की आराजी खसरा नं0 3487 रकबा 1.61 है0 में से लगभग 0.02 है0 भूमि पश्चिमी मेढ में होकर नियमानुसार वर्तमान डीएलसी दर का दोगुना राशि का भुगतान करने पर दिया जाना न्यायोचित है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचनानुसार विवादित आराजी वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल के खसरा नं0 3487 रकबा 1.61 है0 में से 0.02 है0 भूमि, पश्चिमी मेड पर होकर प्रार्थी के खेत पर आने जाने का रास्ता कायम किया जाता है। उक्त रास्ते में दी गयी भूमि के बदले वादी को वर्तमान डीएलसी दर से दोगुना राशि का भुगतान हेतु तहसील कार्यालय में जमा कराया जावें। तहसीलदार मांगरोल को निर्देशित किया जाता है कि वादी से प्राप्त राशि का भुगतान प्रतिवादी क्रम 1 को किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम किया जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रजत कुमार ...) उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल उपखण्ड अधिकारी (राज०)
मांगरोल

Scanned by CamScanner